कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022–23/ 7985 दिनांक 4/8/23

निमित्तः–

Greenko Energies
Private Limited .

विषयः–Diversion of Forest land for the development of Shahpur (1800MW) Pumped Storage Project by M/S Greenko Energies Private Limited in Baran Territorial Forest Division.
Proposal no - FP/RJ/HYD/121439/2021. (407.8227 ha)

संदर्भः- उप वन संरक्षक (FCA)अरण्य भवन जयपुर के पत्र क्रमांक 7035 दिनांक 04.08.2023 क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है की उप वन संरक्षक (FCA) अरण्य भवन जयपुर द्वारा उक्त प्रकरण में आक्षेप लगाये गये है ।

अतः संदर्भित पत्र से लगाये गये आक्षेप की पूर्ति कर शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न–पत्र

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/ दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.अतिःप्रधान मुख्य वन संरक्षक,प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांकः एफ. 14(TRANS)2021 / एफसीए / प्रमुवसं / 7035 दिनांक 04.08.2023

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषयः- Diversion of 407.8227 Ha. Construction of Shahpur (1800 MW) Pumped Storage Project by M/s Greenko Energies Private Limited, in Hanumanthkhera, Mungawali villages, G.P.-Mundiyar, Tehsil-Shahbad, Baran District, Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/HYD/121439/2021)

संदर्भः- आपका पत्रांक 3791 दिनांक 21.07.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रेषित मांग पत्र का परीक्षण किया गया। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तानुसार निम्नानुसार राशि लिया जाना प्रस्तावित है:-

1. उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में छत्र घनत्व (Crop density) 0.39 अंकित किया गया है जबकि प्रस्तावित क्षेत्र में कम्पार्टमेंट अनुसार छत्र घनत्व (Crop density) दिया जाना प्रस्तावित है।
2. उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में 57 है0 वन क्षेत्र मृदा अपरदन से संवेदनशील है किन्तु उसके कोई दूर करने हेतु उपाय अंकित नही किये गये है।
3. उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वन क्षेत्र की विधिक स्थिति / कंजर्वेशन रिजर्व की स्थिति एवं अभिशंषा नही की गयी है।
4. प्रस्ताव में यूजर ऐजेन्सी द्वारा गैर वन भूमि उप वन संरक्षक इगानप स्टेज । जैसलमेर के अधीन क्षेत्र में दी जा रही है अतः गैर वन भूमि से संबंधित समस्त कार्यवाही यथा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण (गैर वन भूमि और अवशेष पौधे वन भूमि) भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार KML file, DGPS Map, CA Scheme and suitability certificate (individually patchwise) संलग्न किया जाकर अन्य सभी क्षतिपूर्ती योजनाएँ हटायी जानी प्रस्तावित है।
5. उप वन संरक्षक द्वारा 615 है0 में आर0डी0एफ0।। में वृक्षारोपण किस आधार पर प्रस्तुत किया गया है यह स्पष्ट नही है। मुख्य वन संरक्षक, कोटा द्वारा अपनी अभिशंषा मे प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि के समीपस्थ समतुल्य वन भूमि में मिश्रित वन तैयार करने हेतु योजना बनाया जाकर संलग्न की जावे।
6. प्रस्तावित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व का हिस्सा है उक्त तथ्य को उप वन संरक्षक द्वारा कही भी उल्लेख नही किया गया है जबकि मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा इसे उल्लेखित किया गया है। प्रस्तावित वन क्षेत्र कंर्जवेशन रिजर्व में होने के कारण नियमानुसार मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनुमति आवश्यक है।
7. प्रस्तावित क्षेत्र कंर्जवेशन रिजर्व (Protected area) का हिस्सा है अतः नियमानुसार पांच गुना एन0पी0वी0 देय होगी।
8. यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव को साइट स्पेसिफिक (Site Specific) बताया गया है, जो माना नही जा सकता है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट में किये गये विभिन्न विकल्पों का परीक्षण एवं विश्लेषण (वन भूमि एवं तकनीकी पैरामीटर) अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।
9. लागत लाभ विश्लेषण (Cost Benefit Analysis) में 1974 करोड प्रति वर्ष का राजस्व अर्जित करने हेतु 987 करोड का लाभ अंकित किया गया है किन्तु यह स्पष्ट नही है कि 1974 करोड प्रतिवर्ष का राजस्व 99 वर्ष तक अर्जित करने पर लाभ 987 करोड का ही होगा।
10. पर्यावरण स्वीकृति का का स्टेटस पार्ट । में अपडेट किया जाना प्रस्तावित है।
11. पर्यावरण स्वीकृति के कम में जारी TOR में शर्त संख्या 8 एवं 13 अनुसार कंजर्वेशन प्लान एवं बायोडाइवरसिटी प्लान चाहा गया है जो ऑनलाईन संलग्न नही किया गया है।
12. कूनो नदी से उक्त प्रस्ताव हेतु पानी लिया जावेगा इस हेतु जल संसाधन विभाग की अनुमति हार्ड प्रति में संलग्न है किन्तु ऑपलाईन पार्ट । में अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।
13. प्रोजेक्ट में प्रस्तावित रिजर्ववायर कूनो नदी की सहायक नदियों एवं नालों पर बनाया जावेगा जिसका केचमेंट एरिया भी प्रस्ताव में आयेगा। केचमेंट एरिया की गणना एवं उसके उपचार का कोई उल्लेख नही किया गया है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(TRANS)2021 / एफसीए / प्रमुवसं / 7036-37 दिनांक 04.08.2023

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, बारां।
2. मैसर्स ग्रीनको एनर्जी प्रा. लि.।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर